कैंटीन संबंधी निविदा सूचना

एल0 बी0 एस0 एम0 महाविद्यालय, जमशेदपुर अपने महाविद्यालय परिसर में कैंन्टीन का संचालन करने जा रहा है। इसके संचालन के इच्छुक व्यक्ति संबंधित आवेदन फॉर्म को रू0–500/– नगद देकर महाविद्यालय कार्यालय से दिनांक– 18.02.2021 से 28.02.2021 तक प्राप्त कर सकते हैं।

कैन्टीन से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी एवं आवश्यक शर्तें महाविद्यालय के Website-www.lbsmcollegejsr.com पर देखी जा सकती है।

प्राचार्य

Rules of Canteen Tender (निविदा)

1. यह कैंटीन संचालन एक वर्ष के लिए किराये पर दिया जाएगा ।
2. कैंटीन का न्यूनतम किराया रू0 1,000 प्रतिमाह होगा ।
3. कैंटीन संचालक को कैंटीन के उपयोग में आने वाली बिजली की खपत का बिल अलग से चुकाना होगा ।
4. महाविद्यालय कैंटीन के लिए टेबल–कुर्सी की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा लेकिन यह कैंटीन संचालक की जिम्मेवारी होगी कि वह पर्याप्त संख्या में टेबल–कुर्सी की व्यवस्था करें।
5. अधिकतम किराया देने वाले व्यक्ति को कैंटीन का संचालन दिया जायेगा ।
6. किराये का टेन्डर एक बन्द लिफाफे मे दिनांक– 06.03.2021 तक कार्यालय में जमा करना होगा।
7. कैंटीन में उपलब्ध कराये जाने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर कैंटीन कमिटि/महाविद्यालय प्रशासन कड़ी नजर रखेगी तथा इनके मूल्यों का निर्धारण भी कैंटीन कमिटि की सहमति से ही तय होगा ताकि कैंटीन के खाद्य पदार्थों के उपयोग के फलस्वरूप किसी को स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत न हो सके ।
8. टेन्डर दिनांक– 10.03.2021 को समय 2:00 बजे कैंटीन कमिटि के सदस्यों के समझ एवं उपस्थित (सभी) टेन्डर धारियों के समक्ष खोला जाएगा । कोई टेन्डरधारी अगर अनुपस्थित रहता है तो भी टेन्डर खोलने का काम नहीं रोका जायेगा।
9. सभी सेवा शर्तें समान होने पर होटल अथवा कैंटीन संचालन का अनुभव रखने वाले को प्राथमिकता दी जायेगी ।
10. सबसे अधिक टेन्डर राशि वाले टेन्डरधारी के साथ कॉलेज प्रशासन कैंटीन संचालन संबंधी अनुबंध करेगा।
11. एक साल की अवधि के अंदर सर्वोतम टेन्डरधारी के अक्षम (Fail) होने पर द्वितीय (Second) सर्वोत्तम टेन्डरधारी को कैंटीन संचालन के लिए आमंत्रित किया जाएगा एवं इसी क्रम में आमंत्रण का विस्तार किया जाएगा।
12. Caution Money को अनुबंध समाप्त होने अथवा कैंटीन संचालक के कम से कम एक साल कैन्टीन चलाने के बाद, कैंटीन नहीं चला पाने की स्थिति में बिना ब्याज के वापस किया जाएगा लेकिन कैंटीन संचालक को इसके लिए एक महीने पहले महाविद्यालय प्रशासन को Caution Money वापस लेने का आवेदन देना पड़ेगा ।

महाविद्यालय प्रशासन,

Application Form For L.B.S.M. College Canteen

I ………………………………………………, S/O………………………………………,
residence at ………………………………………, P.O.-………………………………………,
P.S.-………………, Village/Town-…………………………, Pin Code-…………………
& State-………………… is interested in Canteen running in the L.B.S.M. College Campus on the terms and conditions of the college administration/Canteen Committee of the college. I am ready to submit the tender for 1(One) year rent on terms & conditions of college administration with a refundable caution money of Rs. 10,000/- payable through DD payable to the Principal, L.B.S.M. College, payable at Canara Bank, Khasmahal, Jamshedpur.

In case of refund of Caution Money, one month prior notice/application will have to be submitted to the college Principal. The Caution Money without any interest will be refunded within one month of receiving application from the canteen owner. If the canteen owner has to close the canteen due to what so ever reasons within a year then the canteen owner will have to forfeit his/her Caution Money.

I am also ready to make a contract with the college administration before obtaining permission to start the Canteen in the campus, I have received the rules of tender with the form and fully understand the rules of tender.

Yours faithfully,

Name- ……………………………

Address- ……………………………

Contact No- ……………………………

Aadhar No- ……………………………

E-mail- ……………………………

Agreement for the Canteen
L.B.S.M. College, Jamshedpur

प्राचार्य,

एल० बी० एस० एम० कॉलेज, जमशेदपुर
पूर्वी सिंहभूम, झारखण्ड

एवम्

....

एल० बी० एस० एम० कॉलेज परिसर में कैंटीन का संचालन प्रतिवर्ष के अनुबंध के आधार पर होने जा रहा है । आवेदक श्री .... ने कैंटीन संचालन के लिए सबसे अधिक .... रू० का टेंडर दिया है जिसे प्राचार्य की अध्यक्षता में कैंटीन कमिटी ने स्वीकार किया है ।

1. कैंटीन में सिर्फ वही सामान की बिक्री की जाएगी जिसकी स्वीकृति प्राचार्य/कैंटीन कमिटी द्वारा दी जायेगी।
2. कैंटीन के रख–रखाव एवं साफ–सफाई की जिम्मेवारी कैंटीन संचालक की होगी ।
3. कैंटीन में बेचे जाने वाले सामान के दामों की स्वीकृति प्राचार्य/कैंटीन कमिटी से लेनी होगी ।
4. कैंटीन के बिजली बिल का भुगतान कैंटीन संचालक को प्रति महीने महाविद्यालय कार्यालय में जमा करना होगा ।
5. कैंटीन जिस अवस्था में संचालक को दी जाएगी उसी अवस्था में वापस लौटाना होगा ।
6. कैंटीन के लिए दिए गए Caution Money को बिना ब्याज वापस दिया जायेगा ।
7. कैंटीन Co-ordinator/प्राचार्य/कैंटीन कमिटी के सदस्यों द्वारा समय–समय पर कैंटीन का निरीक्षण किया जायेगा। असंतुष्ट होने पर 15 दिनों के सूचना पर कैंटीन संचालन का अधिकार वापस लिया जा सकता है।
8. कैंटीन का संचालन 1 वर्ष के लिए दिया जाएगा जो .... से शुरू होकर ....तारीख को समाप्त होगा ।
9. कैंटीन संचालक किसी दूसरे व्यक्ति को कैंटीन संचालन के लिए उप किराया (Sub tenancy) पर नहीं दे सकेगा।
10. कैंटीन में किसी भी तरह की दुर्घटना/खाद्य पदार्थों के गुणवत्ता के लिए होने पर केवल कैंटीन संचालक ही जिम्मेवार होगा । महाविद्यालय प्रशासन की किसी भी प्रकार के दुर्घटना की जिम्मेवारी नहीं होगी ।

उपरोक्त शर्तों की अवहेलना होने पर अनुबंध धारक द्वारा जमा की गई Caution Money वापस नहीं क्ररने का अधिकार महाविद्यालय प्रशासन के पास सुरक्षित होगा । महाविद्यालय प्रशासन के पास उपर्युक्त अनुबंध को निरस्त/समाप्त या विस्तार करने का अधिकार होगा ।

प्राचार्य का हस्ताक्षर,
एल० बी० एस० .एम० कॉलेज, जमशेदपुर

Contd…..Page-02